


सलाहकार (कन्सलटेन्ट) के पद हेतु शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव का विवरण

क्र० सं०	पदनाम/संख्या	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	प्रतिमाह मानदेय (रूपये में)
1	सलाहकार (कन्सलटेन्ट) अवस्थापना	(1) BE/B. Tech in Civil Engineering with 05 Years of post qualification working experience OR M.Tech Civil with 03 Years of post qualification working experience. Preference would be given to candidates having additional qualification of Diploma in Project Management/MBA. (2) Candidate should possess work experience in preparation of projects related to Water Supply, Sewerage System, Septage Treatment Management for smaller towns, Building Projects, Multi Storey Parking, Storm Water Drains etc. (3) Special exposure to PPP Projects.	70,000 / -
2	सलाहकार (कन्सलटेन्ट) टोस अपशिष्ट प्रबन्धन	(1) B. Tech in Environment Engineering with 03 Years of post qualification working experience in SWM and related works OR (2) MSc. in Environment Science with 05 Years of post qualification working experience in SWM and related works OR (3) B. Tech in Civil Engineering with 05 Years OR M. Tech (Civil/Environment) with 03 Years of post qualification working experience in SWM and related works (4) Preference would be given to those having experience in Disposal of Waste facilities i.e. COMPOSTING. PLASTIC RECYCLE, WASTE TO ENERGY, RDF and SLF etc.	70,000 / -

तैनाती की शर्त/प्रतिबन्ध

- 1- उपरोक्त सलाहकार (कन्सलटेन्ट) की नियुक्ति पूर्णतः आउटसोर्सिंग के आधार शासन की स्वीकृति उपरान्त प्रतिवर्ष 11 माह हेतु अनुबन्ध के आधार पर रखा जायेगा।
- 2- चूंकि उक्त पद आउटसोर्स के स्वीकृत है। अतः उक्त पदों पर तैनाती के उपरान्त नियमित नियुक्ति का कोई दावा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।
- 3- इच्छुक/अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्रथम तैनाती के समय मानदेय की धनराशि ₹0 70,000 / - देय होगी, जो कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर बढ़ायी जा सकती है।
- 4- आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो, संलग्न किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा बिना शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों के प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- 5- शार्टलिस्ट उम्मीदवारों को केवल ई-मेल/मोबाईल के माध्यम से साक्षात्कार की तिथि और स्थान के बारे में सूचित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 6- चयनित अभ्यर्थियों को कोई उपार्जित अवकाश देय नहीं होगा केवल 12 दिन का आकस्मिक अवकाश (11 माह के अन्दर) देय होगा।
- 7- चयनित अभ्यर्थियों को योगदान से पूर्व विभाग से अनुबन्ध सम्पादित करना आवश्यक होगा एवं अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देने की दशा में कार्यालय को 30 दिन से पूर्व अवगत कराना आवश्यक होगा।
- 8- निदेशक, शहरी विकास के पास आवेदन/भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित होंगे।


 (नवनीत पाण्डे)
 निदेशक।